न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 632/2024

अनवान : –

1. इन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
2. मनोहरलाल पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
3. सलीन्द्र कुमार उर्फ शलैन्द्र पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
4. साहबराम पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी वार्ड सं. 02 नन्दा कॉलोनी नोहर तहसील नोहर
2. कैलाशचन्द्र पुत्र आत्ताराम जाति ब्राहमण निवासी गणेश चौक नोहर तहसील नोहर
3. किबातो देवी पत्नि काशीराम जाति नाई निवासी वार्ड सं. 02 नन्दा कॉलोनी नोहर तहसील नोहर
4. जगराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिंख निवासी वार्ड सं. 01 ढ़ाणी सिखान नोहर तहसील नोहर
5. देवकी पत्नि केदारनाथ जाति अग्रवाल निवासी औसवाल स्कुल के पिछे नोहर तहसील नोहर
6. सन्तोष पत्नि भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
7. रूलीचन्द पुत्र भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
8. सरोज पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
9. अशोक पुत्र भवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
10. अजु पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
11. मुन्नी देवी पत्नि रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर
12. विनोद पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
13. सुमन पुत्री रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
14. मनोज पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
15. राजु पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
16. पुनम पुत्री बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
17. प्रहलाद पुत्र बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
18. पवन पुत्र बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
19. राजेश पुत्र बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं 4 नोहर तहसील नोहर
20. लिलावती पत्नि बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
21. श्याम पुत्र सोहनलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
22. सरला देवी पत्नि दुर्गादत जाति ब्राहमण निवासी रामसुखदास पार्क के पास नोहर तहसील नोहर
23. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक: 24/03/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 एन.एच.आर. ए तहसील नोहर के खाता संख्या 8/8 की कुल 5.0220 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता सं. 8/8 की कुल 23 किता की तादादी 5.0220 हैक्टर भूमि में सह खातेदार काश्तकार नानी पत्नि सोहनलाल फौत हो चुकी है एवं नाना के चार पुत्र हुये बशीलाल, रामचन्द्र, भंवरलाल, श्यामा जिसमें से तीन पुत्रगण बशीलाल, रामचन्द्र व भंवरलाल फौत हो चुके है इसलिए जायज वारिसान प्रतिवादीगण सं. 6 ता 21 है। एवं भवंरलाल पुत्र सोहनलाल भी फौत हो चुका है जिसके जायज वारिरसान प्रतिवादी सं. 6 ता 10 है एवं रामचन्द्र फीत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण सं. 11 ता 15 है एवं मृतकगण के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम वाद भूमि मुश्तरका खाते की भूमि है तथा वाद भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण का सींव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त सम्बधी झगडा बना रहता है इसलिए वादीगण वाद भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त अनुसार वादीगण प्रतिवादीगण से अलहदा–अलहदा करवा पाने का अधिकारी है उपरोक्त आशयों की वादीगण घोषणा करवाकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 1 एन.एच.आर. ए तहसील नोहर के खाता संख्या 8/8 की कुल 5.0220 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 1 एन.एच.आर. ए तहसील नोहर के खाता संख्या 8/8 की कुल 5.0220 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 इन्द्र कुमार, मनोहरलाल, साहबराम, सलीन्द्र कुमार उर्फ शलैन्द्र पि0 रामनाराण हि0 बहिब कौम बिश्नोई सा0 रावतसर खाते रहन मनोहरलाल का हि0 कैनरा बैक रावतसर – प0न0 300/436 (29) किला न0 16, 17, 18, 24 व 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल 1.2065 हैक्ट

2 अशोक कुमार पुत्र काशीराम हि0 6198/18785, नानी पत्नी सोहनलाल हि0 167/3757, पूनम, प्रहलाद, पवन, राजेश पि0 बंशीलाल हि0 668/18785, लीलावती पत्नी बंशीलाल हि0 167/18785, भंवरलाल, रामचन्द्र, श्यामा पि0 सोहनलाल हि0 5009/37570 कौम नाई, कैलाशचन्द्र पुत्र आत्माराम हि0 2103/18785 कौम ब्राहमण, जगराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह हि0 2103/18785 कौम ब्रहामण, जगराज सिंह पुत्र रणजीतसिंह हि0 2103/18785 कौम जटसिख, देवकी पत्नी केदारनाथ पि0 2103/18785 कौम अग्रवाल सा नोहर, सरला देवी पत्नी दुर्गादत हि0 4207/37570 कौम ब्राहमण निवासी नगरासरी खातेदार रहन अशोक कुमार का हि0 एचडीएफसी बैंक लि0 नोहर मनोहर लाल का हि0 कैनरा बैंक नोहर – प0न0 299/436 (28) किला न0 16/1 की 0.025 गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.025 गै0मु0 रास्ता, 16/3 की 0.013 हैक्ट नहरी, प0न0 300/436 (29) किला न0 19 ता 23 की 1.265 हैक्ट, प0न0 300/437 (50) किला न0 1 से 10 की 2.429 कुल किता 18 रकबा 3.7570 हैक्ट मय खाला रास्ता

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 24/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 632 / 2024

अनवान : –

1. इन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
2. मनोहरलाल पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
3. सलीन्द्र कुमार उर्फ शलैन्द्र पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
4. साहबराम पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर।

– **वादी**

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी वार्ड सं. 02 नन्दा कॉलोनी नोहर तहसील नोहर
2. कैलाशचन्द्र पुत्र आत्ताराम जाति ब्राहमण निवासी गणेश चौक नोहर तहसील नोहर
3. किबातो देवी पत्नि काशीराम जाति नाई निवासी वार्ड सं. 02 नन्दा कॉलोनी नोहर तहसील नोहर
4. जगराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिंख निवासी वार्ड सं. 01 ढ़ाणी सिखान नोहर तहसील नोहर
5. देवकी पत्नि केदारनाथ जाति अग्रवाल निवासी औसवाल स्कुल के पिछे नोहर तहसील नोहर
6. सन्तोष पत्नि भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
7. रूलीचन्द पुत्र भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
8. सरोज पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
9. अशोक पुत्र भवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
10. अजु पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 04 नोहर तहसील नोहर
11. मुन्नी देवी पत्नि रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर
12. विनोद पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
13. सुमन पुत्री रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
14. मनोज पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
15. राजु पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी वार्ड सं. 29 रावतसर तहसील रावतसर।
16. पुनम पुत्री बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
17. प्रहलाद पुत्र बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
18. पवन पुत्र बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
19. राजेश पुत्र बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं 4 नोहर तहसील नोहर
20. लिलावती पत्नि बंशीलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
21. श्याम पुत्र सोहनलाल जाति नाई निवासी वार्ड सं. 4 नोहर तहसी नोहर
22. सरला देवी पत्नि दुर्गादत जाति ब्राहमण निवासी रामसुखदास पार्क के पास नोहर तहसील नोहर
23. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 632 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अ[illegible] किया जाकर रोही मौजा 1 एन.एच.आर. ए तहसील नोहर के खाता संख्या [illegible] भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भू[illegible] का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 इन्द्र कुमार, मनोहरलाल, साहबराम, सलीन्द्र कुमार उर्फ शलैन्द्र पि0 रामनाराण हि0 बहिब कौम बिश्नोई सा0 रावतसर खाते रहन मनोहरलाल का हि0 कैनरा बैक रावतसर – प0न0 300/436 (29) किला न0 16, 17, 18, 24 व 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल 1.2065 हैक्ट

2 अशोक कुमार पुत्र काशीराम हि0 6198/18785, नानी पत्नी सोहनलाल हि0 167/3757, पूनम, प्रहलाद, पवन, राजेश पि0 बंशीलाल हि0 668/18785, लीलावती पत्नी बंशीलाल हि0 167/18785, भंवरलाल, रामचन्द्र, श्यामा पि0 सोहनलाल हि0 5009/37570 कौम नाई, कैलाशचन्द्र पुत्र आत्माराम हि0 2103/18785 कौम ब्राहमण, जगराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह हि0 2103/18785 कौम ब्रहामण, जगराज सिंह पुत्र रणजीतसिंह हि0 2103/18785 कौम जटसिख, देवकी पत्नी केदारनाथ पि0 2103/18785 कौम अग्रवाल सा नोहर, सरला देवी पत्नी दुर्गादत हि0 4207/37570 कौम ब्राहमण निवासी नगरासरी खातेदार रहन अशोक कुमार का हि0 एचडीएफसी बैंक लि0 नोहर मनोहर लाल का हि0 कैनरा बैंक नोहर – प0न0 299/436 (28) किला न0 16/1 की 0.025 गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.025 गै0मु0 रास्ता, 16/3 की 0.013 हैक्ट नहरी, प0न0 300/436 (29) किला न0 19 ता 23 की 1.265 हैक्ट, प0न0 300/437 (50) किला न0 1 से 10 की 2. 429 कुल किता 18 रकबा 3.7570 हैक्ट मय खाला रास्ता

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested